इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15398-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१३.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा २९२-ङ में, उपधारा (१), (२), (३) और (४) को क्रमश: उपधारा (२), (३), (४) और (५) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, नगरपालिक क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, आयुक्त को, ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसी कि विहित की जाए.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३३९-ङ में, उपधारा (१), (२), (३) तथा (४) को क्रमश: उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, नगरपालिका क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसी कि विहित की जाए.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा २९२-ङ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३३९-ङ अवैध कालोनी निर्माण की भूमि का प्रबंध क्रमश: आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किए जाने से संबंधित है. नगरपालिक क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अन्तरणों अथवा अन्तरण के करार के ब्यौरे, नगरपालिक निगम की दशा में आयुक्त या नगरपालिका की दशा में सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
दिनांक ६ जुलाई, २०१३.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१३ के खण्ड २ एवं ३ द्वारा नगरपालिक एवं नगरपालिका क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने की स्थिति एवं प्राधिकारी विहित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.